न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 802/2022

अनवान : –

1. श्रीकृष्ण पुत्र परमाराम जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजकुमार पुत्र परमाराम जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. माया पुत्री परमाराम जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री परमाराम जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
4. दुलारी पुत्री परमाराम जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
5. विद्या देवी पुत्री पुत्री परमाराम जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
6. आत्माराम पुत्र श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
7. गायत्री देवी पुत्री श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. दयाराम पुत्र श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
9. प्रमोद देवी पुत्री श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
10. पवन कुमार पुत्र श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
11. विश्वामित्र पुत्र श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
12. रमेशचन्द्र पुत्र श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
13. सज्जन कुमार पुत्र श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
14. सुभाष चन्द्र पुत्र श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
15. सरस्वती पुत्री श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
16. सुहाग देवी पुत्री श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
17. अशोक कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
18. प्रदीप कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
19. सुभाष चन्द्र पुत्र ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
20. नन्द किशोर पुत्र ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
21. निर्मल कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
22. संदीप कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
23. किरण पुत्री ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
24. मन्जू पुत्री ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
25. निलम पुत्री ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
26. कालुराम पुत्र ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:34:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

27. संजय पुत्र ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
28. शारदा पत्नी महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
29. पुष्पा पुत्री महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
30. मनोज रानी पुत्री महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
31. विमला पुत्री महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
32. लक्ष्मी पुत्री महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
33. सुरेश कुमार पुत्र महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
34. रामावतार पुत्र महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
35. ऋषि कुमार पुत्र महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
36. रेखा रानी पुत्री महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
37. नरेन्द्र कुमार पुत्र महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
38. श्यामलाल पुत्र महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
39. कान्ता देवी पुत्री महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
40. निर्मल कुमार पुत्र तारामणी जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
41. आनन्दी पुत्री तारामणी जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
42. रमेश कुमार पुत्री तारामणी जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
43. तिलोकचन्द पुत्र तारामणी जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
44. प्रेमलता पुत्री तारामणी जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
45. ललिता देवी पुत्री तारामणी जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
46. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

— **प्रतिवादी**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांक: 02.08.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई गैर खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 283/281 के खसरा नं. 106, 202, 203, 204 की कुल तादादी 13.2280 है0 मुश्तरका खाता की भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:34:16 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादा लाई कृषि भूमि है जिसके वादी व प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के दादा परमाराम के स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस श्याम सुन्दर, महावीर, राजकुमार, ओमप्रकाश, श्रीकृष्ण माया, तारामणी, कमला,

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दुलारी व विद्या देवी है जिसमें श्यामसुन्दर पुत्र परमाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 6 ता 16 है तथा ओम प्रकाश का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 17 ता 27 है व महावीर पुत्र परमाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 28 ता 39 है तथा तारामणी पुत्री परमाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 40 ता 45 है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का भाई है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह वादी के पक्ष में परित्याग कर चुके है व प्रतिवादी संख्या 6 ता 16 जो कि वादी के मृतक भाई श्याम सुन्दर के वारिस है तथा प्रतिवादी संख्या 17 ता 27 जो कि वादी के मृतक भाई ओम प्रकाश के वारिस है तथा प्रतिवादी संख्या 28 ता 39 जो कि वादी के मृतक भाई महावीर के वारिस है व प्रतिवादी संख्या 40 ता 45 जो कि वादी की मृतक बहिन तारामणी के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि पर वादी काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 45 की तरफ से अधिवक्ता श्री मनीराम सरावग ने वकालतनामा पेश कर जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 45 को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा मन्दरपुरा खाता संख्या 283 सम्वत 2072–75 प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र तारामणी देवी प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र ओमप्रकाश प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण पत्र श्यामसुन्दर प्रदर्श–4, मृत्यु प्रमाण पत्र महावीर प्रदर्श–5, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रदर्श–6, चित्रप्रति सरंपच ग्राम मन्दरपुरा द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–7 आदि प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:34:16 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि जो कि वादी की [illegible] कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 45 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 45 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 45 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 45 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमावें।

पेरोकार राज़ ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 283/281 के खसरा नं. 106, 202, 203, 204 की कुल तादादी 13.2280 है0 मुश्तरका खाता की भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 45 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष मे त्याग कर दिया है। उक्त कथन को स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 45 द्वारा जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है। वाद भूमि मे से मृतक तारामणी व ओमप्रकाश के नाम दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है उनके जायज वारिसान वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली मे दर्शायें गये सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 17 ता 27 व 40 ता 45 है। जिन्होनें अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 45 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 45 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 283/281 के खसरा नं. 106, 202, 203, 204 की कुल तादादी 13.2280 है0 भूमि में राजकुमार, माया, कमला, दुलारी,पि0 परसाराम व मृतक ओमप्रकाश पुत्र परसराम, मृतक तारामाणी पुत्री परसराम, मैना देवी पत्नी श्यामसुन्दर, आत्माराम, गायत्री देवी, दयाराम, प्रमोद देवी, पवन कुमार, विश्वामित्र, रमेशचन्द्र, सज्जन कुमार, सुभाषचन्द्र, सरस्वती, सुहाग देवी पि0 श्याम सुन्दर व ऋषि कुमार, कान्ता, नरेन्द्र, पुष्पा, बिमला, मनोज कुमार, रेखा, रामअवतार, लि[illegible]मलाल, सुरेश पि0 महावीर प्रसाद का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रूपये का स्टाम्प

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:34:16 IST
Reason: SelfAttested

तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2/8/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:34:16 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 802/2022

अनवान : –

1. श्रीकृष्ण पुत्र परमाराम जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजकुमार पुत्र परमाराम जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. माया पुत्री परमाराम जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री परमाराम जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
4. दुलारी पुत्री परमाराम जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
5. विद्या देवी पुत्री पुत्री परमाराम जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
6. आत्माराम पुत्र श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
7. गायत्री देवी पुत्री श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. दयाराम पुत्र श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
9. प्रमोद देवी पुत्री श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
10. पवन कुमार पुत्र श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
11. विश्वामित्र पुत्र श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
12. रमेशचन्द्र पुत्र श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
13. सज्जन कुमार पुत्र श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
14. सुभाष चन्द्र पुत्र श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
15. सरस्वती पुत्री श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
16. सुहाग देवी पुत्री श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
17. अशोक कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
18. प्रदीप कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
19. सुभाष चन्द्र पुत्र ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
20. नन्द किशोर पुत्र ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
21. निर्मल कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
22. संदीप कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
23. किरण पुत्री ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
24. मन्जू पुत्री ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
25. निलम पुत्री ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
26. कालुराम पुत्र ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:34:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

27. संजय पुत्र ओम प्रकाश जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
28. शारदा पत्नी महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
29. पुष्पा पुत्री महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
30. मनोज रानी पुत्री महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
31. विमला पुत्री महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
32. लक्ष्मी पुत्री महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
33. सुरेश कुमार पुत्र महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
34. रामावतार पुत्र महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
35. ऋषि कुमार पुत्र महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
36. रेखा रानी पुत्री महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
37. नरेन्द्र कुमार पुत्र महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
38. श्यामलाल पुत्र महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
39. कान्ता देवी पुत्री महावीर जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
40. निर्मल कुमार पुत्र तारामणी जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
41. आनन्दी पुत्री तारामणी जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
42. रमेश कुमार पुत्री तारामणी जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
43. तिलोकचन्द पुत्र तारामणी जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
44. प्रेमलता पुत्री तारामणी जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
45. ललिता देवी पुत्री तारामणी जाति महाजन निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
46. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 802 सन 2022 निर्णय दिनांक 02.08.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 283/281 के खसरा नं. 106, 202, 203, 204 की कुल तादादी 13.2280 है0 भूमि में राजकुमार, माया, कमला, दुलारी,पि0 परसाराम व मृतक [illegible] पुत्र परसराम, मृतक तारामाणी पुत्री परसराम, मैना देवी पत्नी श्यामसुन्दर, आत्माराम [illegible] प्रमोद देवी, पवन कुमार, विश्वामित्र, रमेशचन्द्र, सज्जन कुमार, सुभाषचन्द्र, [illegible] सुहाग देवी पि0 श्याम सुन्दर व ऋषि कुमार, कान्ता, नरेन्द्र, पुष्पा, बिमला, मनोज कुमार, [illegible], रामाअवतार, लिछमा, श्यामलाल, सुरेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:34:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पि0 महावीर प्रसाद का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रूपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2/8/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:34:16 IST
Reason: SelfAttested